an>

Title: Regarding poor condition of NH 106,107 and other National Highways in Bihar.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मैडम, यह बहुत ही गंभीर मामला है। लगतार केंद्र और बिहार झगड़े में एन.एच.ए.आई और रेल की जो भी परियोजनाएं हैं, वे कम्प्लीट रूप से ठप पड़ गयी हैं। मेरे यहां एन.एच-106 रोड का टेंडर आई.एल.एफ.एस. कंपनी ने लिया था। जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टीस वहां गये, तो हाई कोर्ट ने *सुओ-मोटू* नोटिस भी लिया था। लगातार डेट-पर-डेट दी जा रही है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टीस ने भी कहा था कि हमने इतनी गंदी रोड आज तक नहीं देखी। हमारे यहां एन.एच-106 एवं एन.एच.-107 रोड है। मैडम, सहरसा में एक ओवर ब्रिज है, जिसको बनाने के लिए पुल निगम को कई बार पैसे दिये गये, लेकिन बिहार सरकार इस पर कम्प्लीट रूप से ध्यान नहीं दे रही है। उंचेट स्थान से तारा स्थान होते हुए सिंहेश्वर स्थान खुर्दा से एन.एच-107 में फुलोंद और बेड़ों का टेंडर का होना था, इसके लिए बिहार सरकार जमीन अधीग्रहण नहीं कर पा रही है। आप इसको लागातार देखेंगे। इसमें मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि बिहार सरकार को एक निर्देश दिया जाए कि दोनों पुल का टेंडर के लिए सब कुछ हो गया है, लेकिन एस्टिमेट नहीं हो पा रहा है। आई.एफ.एफ.एस. कंपनी एन.एच-106 रोड के लिए कार्रवाई तुरंत करे और साथ-साथ पुल निगम को निर्देश दिया जाए कि सहरसा ओवर ब्रिज के निर्माण का कार्य जल्द पूरा करे।